

**IDENTITY CARD PERMISSIBLE FOR UNDERTAKING JOURNEY
ON RESERVED TICKETS**

- i. Voter Photo Identity Card issued by Election Commission of India.**
- ii. Passport.**
- iii. PAN Card issued by Income Tax Department.**
- iv. Driving Licence issued by RTO.**
- v. Photo Identity Card having serial number issued by Central/ State Government.**
- vi. Student Identity Card with photograph issued by recognized School/College for their Students.**
- vii. Nationalised Bank Passbook with photograph.**
- viii. Credit Cards issued by Banks with laminated photograph.**
- ix. Unique identification Card "Aadhar"**
- x. Photo identity cards having serial number issued by Public Sector Undertakings of State/Central Government, District Administrations, Municipal bodies and Panchayat Administrations.**
- xi. In case of reserved tickets booked through computerised Passenger Reservation System(PRS) counters, for undertaking journey in Sleeper(SL) & Second Reserved Sitting(2S) classes, attested photocopy of Ration Card with photographs and Nationalized Bank Passbook with photograph are also accepted**

Note: In case of Tatkal, the photocopy of identity cards as mentioned in para (xi) is not permissible.

आरक्षित टिकटों पर यात्रा करने के लिए अनुमेय पहचान-पत्र.

- i. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर फोटो पहचान-पत्र।
- ii. पासपोर्ट।
- iii. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड।
- iv. आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस।
- v. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सीरियल नम्बर वाला फोटो पहचान-पत्र।
- vi. मान्यताप्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए जारी विद्यार्थी पहचान-पत्र, जिसमें फोटो लगी हो।
- vii. राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, जिसमें फोटो लगी हो।
- viii. बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड, जिस पर फोटो लेमिनेट की गई हो।
- ix. यूनीक पहचान-पत्र "आधार"।
- x. राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिला प्रशासनों, म्यूनिसिपल निकायों और पंचायत प्रशासनों द्वारा जारी सीरियल नम्बर वाले फोटो पहचान-पत्र।
- xi. स्लीपर (एसएल), और दूसरी श्रेणी की आरक्षित सीटिंग (2 एस) श्रेणियों में यात्रा करने के लिए आरक्षित टिकटों को कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटरों के माध्यम से बुक किए जाने की स्थिति में फोटो लगे राशन कार्ड और फोटो वाले राष्ट्रीयकृत बैंक के पासबुक की अनुप्रमाणित फोटोकॉपी भी मान्य है।

नोट: तत्काल के मामले में पैरा (xi) में उल्लिखित पहचान-पत्रों की फोटोकॉपी स्वीकार्य नहीं हैं।